

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर**  
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015  
(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(डीजीएस/90)/ अलेसे-III/762

दिनांक :- 20.7.2022

आदेश संख्या:- 609 / 2022-23

श्री लालबहादुर मित्तल, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर को निदेशालय के आदेशों की अवहेलना करने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में दिनांक 12.04.2022 से निलम्बित किया गया था।

श्री लालबहादुर मित्तल, कनिष्ठ लेखाकार के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गुणावगुण आधार पर परीक्षण करने के उपरांत लिए गए निर्णय के आधार पर श्री लालबहादुर मित्तल को जॉच लम्बित रखते हुए पूर्व स्थानांतरण कार्यालय न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, भरतपुर में कार्यग्रहण करने की शर्त पर निलम्बन से बहाल किया जाता है।

निलम्बन अवधि का निर्णय जॉच के अध्यक्षीन रहेगा।



(भूपेश माथुर)  
निदेशक एवं पदेन  
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(डीजीएस/90)/ अलेसे-III/762

दिनांक :- 20.7.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 जिला कलक्टर, भरतपुर।
- 3 कोषाधिकारी, भरतपुर।
- 4 न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, भरतपुर।
- 5 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- 6 श्री लालबहादुर मित्तल, कनिष्ठ लेखाकार।
- 7 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 8 जॉच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- 9 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)